प्रपत्र सं. 3

(देखिए नियम 26)

आदेश–पत्र

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत : रेलमगरा – 2025

मुकदमा नम्बर 63 / 2025

उनवान सीतावाई रावल बनाम माधुलाल नायक वगै.

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/2025	यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। आज लोक राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ता पक्षकारान/पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना में हस्तगत प्रकरण में विभाजन कराने पर सहमति जाहिर की। अतः मामलें में प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण द्वारा ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 1276 हैक्टेयर, कुल किता– 01 कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर खातेदारी भूमि का विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं तहसीलदार द्वारा विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की गयी। जिस पर पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति प्रदान की गयी। पक्षकारान की आपसी सहमति अनुसार संलग्न फहरिस्त अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। सदस्य, लोक आदालत 13/9/2025 अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति सिविल न्यायाधीश रेलमगरा जिला राजसमन्द	